न्यायालय उपखण्ड अधिकारी केकड़ी जिला अजमेर (राजस्थान)

प्रकरण संख्या 114/2019 (2019/00118)

1.हगामी पत्नि भूरा
2.नारायण पुत्र भूरा
3.हेमराज पुत्र भूरा
4.गोपाल पुत्र भूरा
5.छोटू पुत्र भूरा
तमाम जाति कीर निवासीगण ग्राम पारा तहसील केकड़ी जिला अजमेर राजस्थान

—प्रार्थी

बनाम

1.भुवाना पुत्र देवी
2.कमला पुत्री देवी
3.ऐजन पुत्री देवी
4.मनभर पुत्री देवी
5.गोपाल पुत्र रामचंद्र
6.शिवजीराम पुत्र रामचंद्र
7.गोगा पुत्र नंदा
8.घीरा पुत्र नंदा
9.बंशी दत्तक पुत्र नंदू
10.रामपाली पुत्री कल्याण
11.शंकर पिता सुआ
12.काना पिता लखा
13.रामस्वरूप पुत्र हीरा
तमाम जाति कीर निवासी पारा तहसील केकड़ी जिला अजमेर
14.तहसीलदार केकड़ी तहसील केकड़ी जिला अजमेर —अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 128 भू राजस्व अधिनियम

उपस्थितः— श्री निरंजन चौधरी —वकील प्रार्थी
श्री तहसीलदार केकड़ी —पैरोकार सरकार

आदेश

दिनांक 06.09.2021

संक्षेप मे प्रकरण के तथ्य इस प्रकार से है कि प्रार्थी की खातेदारी ,कब्जे काश्त आधिपत्य स्वामित्व की ग्राम पारा की निम्नवर्णित आराजीयात जमाबंदी संवत् 2069—72 मे दर्ज हैः—

खेवट खतौनी संख्या नयी—पुरानी	खसरा नंबर	रकबा	किस्म
827—795	3516	0.44	पेटा ता. 2
	3517	[illegible]	पेटा ता. 2
	3521	0.97	पेटा ता.2
	3522	[illegible]	पेटा ता.2
	[illegible]	[illegible]	पेटा ता.2
	3528	[illegible]	पेटा ता.2
	3538	0.56	पेटा ता.2
कुल किता 07		4.44 हैक्टर	

Signature Not Verified
Digitally signed by Vikas Pancholi
Date: 2022.01.13 12:56:25 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
केकड़ी (अजमेर)

Scanned with CamScanner

इस आराजी मे प्रार्थीगण के अलावा किसी दीगर व्यक्ति का विधिक अधिकार व हक हिस्सा नहीं है। प्रार्थी की आराजी पर पत्थरगढ़ी नही होने से के कारण आराजी के पडौसी जबरन अतिक्रमण कर कब्जा करने की धमकियां देते है,तथा पत्थरगढी के अभाव मे सीमा बाबत् आये दिन लड़ाई–झगड़ा प्रार्थी से करते रहते है। दिनांक 20.05.2019 को भी प्रार्थी अपने खेत के डोल डलवाने गया तो पड़ौसियों द्वारा मौके पर पत्थरगढ़ी के अभाव मे सीमा के बाबत् विवाद किया तथा लड़ाई झगड़ा करने लग गये । अतः प्रार्थना पत्र मे वर्णित आराजीयात की स्थायी पत्थरगढ़ी नाप चौप करवायी जावे,ताकि किसी प्रकार का झगड़ा फिसाद नहीं हो। अतः पत्थरगढ़ी व सीमाचिन्ह अंकित किया जाना न्यायोचित एवं आवश्यक है। प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने का मूल कारण दिनांक 20.05.2019 को उत्पन्न हुआ व दिन प्रतिदिन उत्पन्न हो रहा है। प्रकरण श्रवणाधिकार व क्षैत्राधिकार का होने से दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को तलब किया गया।

तहसीलदार केकडी व अप्रार्थीगण ने जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत नही किया। अप्रार्थीगण बावजूद नोटिस तामिली गैर हाजिर रहे तथा उन्होने जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत नहीं किया। अप्रार्थीगण की अनुपस्थिति शुमार की जाकर उनके खिलाफ एक तरफा कार्यवाही अमल मे लायी गयी तथा जवाब बंद किया गया। अप्राथीगण का जवाब बंद होने के बाद पत्रावली मे बहस सुनी गई।

प्रार्थीगण के लायक अभिभाषक श्री निरंजन चौधरी ने बहस प्रारंभ करते हुए प्रार्थनापत्र मे अंकित कथनो को दोहराया तथा प्रार्थना पत्र मे वर्णित आराजी की पत्थरगढ़ी करवाये जाने के आदेश प्रदान करावे। पैरोकार सरकार को प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने मे कोई आपत्ति नहीं है।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। वकील प्रार्थीगण की बहस पर गौर किया गया। पैरोकार सरकार द्वारा बताया गया कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाने योग्य है। अतः ग्राम पारा की प्रार्थना पत्र मे वर्णित आराजी प्रार्थीगण की खातेदारी की है खातेदार स्वयं की खातेदारी की आराजी की पत्थरगढी करवाने का हक अधिकार रखता है। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। तहसीलदार केकड़ी प्रार्थीगण द्वारा नियमानुसार पत्थरगढ़ी शुल्क जमा करवाने पर पत्थरगढ़ी की कार्यवाही दक्ष कार्मिको की टीम गठित कर करावे। प्रार्थना पत्र का खर्चा फरिकेन अपना अपना वहन करे।

आदेश खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(विकास पंचौली)
उपखण्ड अधिकारी केकड़ी

उपखण्ड अधिकारी
केकड़ी (अजमेर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Vikas Pancholi
Date: 2022.01.13 12:56:25 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner